न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–105/2010

CIS NO. TS-333/2018

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 प्रेमा उर्फ परमा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
20.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 65 एवं 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 25.07.2018 पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 25.07.2018 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में बयनामा दस्तावेज दिनांक 17.07.1980 तिलक महतो बनाम विरेन्द्र गिरी एवं प्रहलाद महतो बनाम तिलक महतो की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया है, जो तीस वर्षो से ज्यादा पुराना है। अतः न्यायाहित प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 25.07.2018 को मो0–500/– रूपये	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–105/2010

CIS NO. TS-333/2018

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 प्रेमा उर्फ परमा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 20.11.2024	हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजात को आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 13.12.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	
पश्चात्	आवेदन दिनांक 25.07.2018 में वादी का कथन है कि वादी के द्वारा बयनामा दस्तावेज दिनांक 17.07.1980 प्रहलाद प्रसाद बनाम तिलक महतो दाखिल करना छुट गया है। जिसको दाखिल किया जा रहा है। इसको स्वीकार कर प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का	

<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–105/2010</u>

<u>CIS NO. TS-333/2018</u>

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 प्रेमा उर्फ परमा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 20.11.2024	निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 25.07.2018 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजात को आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक कमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 13.12.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	